ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-5* June- 2021
Innovation The Research Concept

महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह

Women Empowerment and Self Help Groups

Paper Submission: 01/06/2021, Date of Acceptance: 15/06/2021, Date of Publication: 25/06/2021

अनुपमा दीक्षित
सहायक आचार्य,
अर्थशास्त्र विभाग,
श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्याालय, सीकर,
राजस्थान, भारत

सारांश

महिलाओं की स्थिति देश के विकास को प्रदर्शित करती है। विश्व का कोई भी देश महिलाओं को हासिए पर रख कर अपना आर्थिक विकास नही कर सकता है। महिलाओं को देश के विकास की मुख्यधारा मे जोडना ही होगा। इन्हें सशक्त बनाने के लिए उन्हें निणर्य सक्षम बनाना होगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और स्वयं के जीवन मे निणर्य लेने की क्षमता ही सशक्तिकरण है। सयुंक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 से अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरूआत की गई तब से विश्व मे महिला सशक्तिकरण एक जागरूकता अभियान बन गया हैं। इसके लिए राष्ट्रीय, स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रयास भी किए गए। महिलाओं को सामाजिक–आर्थिक रूप से सुदृढ बनाने मे स्वयं सहायता समुहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। देश मे लगभग 60 लाख स्वयं सहायता समुहों से 6.7 करोड महिलाएं जुडी हुई है। राजस्थान मे भी लगभग पौने दो लाख समुह कार्यरत हैं। जो समाज मे महिला सशक्तिकरण का सुदृढ साधन है। यह अध्ययन पुर्व के अध्ययनों को नवीन परिदृश्य मे देखने का प्रयास है। इस शोध पत्र मे मुख्यत महिला सशक्तिकरण मे स्वयं सहायता समुहों की भूमिका को प्रस्तुत किया गया है।

The status of women reflects the development of the country. No country in the world can achieve its economic development by marginalizing women. Women must be included in the mainstream of development of the country. To empower them, decision making has to be enabled. Empowerment is the ability to make social, economic, political, and decisions in one's own life. Women's empowerment has become an awareness campaign in the world since it was started to celebrate International Women's Day on 8 March 1975 by the United Nations. Various efforts were also made for this at the national and local level. Self-help groups have played an important role in making women socio-economically strong. 6.7 Crore women are associated with about 60 lakh self-help groups in the country. In Rajasthan also, about two and a half lakh self-help groups are working. Which is a strong means of women empowerment in the society. This study is an attempt to see the earlier studies in a new perspective.The role of self-help groups in women empowerment has been mainly presented in the research paper.

मुख्य शब्द : महिला स्थिति, निर्णय क्षमता, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक विकास, स्वयं सहायता समुह।
Women Conditions, Decision power, Women Empowerment, Economic Development, Self Help Groups.

प्रस्तावना

विश्व का आर्थिक विकास अपनी आधी आबादी 'महिलाओ' के कल्याण पर निर्भर हैं। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा मे जोडे बिना किसी राष्ट्र, राज्य व देश के आर्थिक, सामाजिक एंव राजनीतिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती हैं। नये भारत का सपना महिलाओं को सशक्त बनाये बिना पुरा नही हो सकता है। महिलाओं की स्थिति देश के विकास को प्रदर्शित करती है। इन्हें इतना सशक्त बनाया जाए कि ये अपने जीवन मे व्यक्तिगत एंव सामाजिक निर्णय लेने मे सक्षम हो जाए। इन्हें पुरूषों के बराबर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों मे निर्णय का अधिकार प्राप्त हों। साथ ही देश व समाज की प्रगति के लिए सक्षम महिला का विशेष महत्व है और देश का सम्पूर्ण विकास महिलाओं के सशक्तिकरण पर निर्भर है। आज देश मे महिलाऐं सामाजिक, आर्थिक एंव राजनीतिक उत्थान की मुख्यधारा मे नही जुड पायी हैं, वहां निर्णय मे उनकी भागीदारी कम है। इस वातावरण मे महिलाओं से जुडी अनेक समस्याएं है जिन्हें समाप्त कर इन्हें सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना होगा। यह न केवल

शासकीय प्रतिबद्वता से बल्कि समस्त जागरूक नागरिक प्रयासों से संभव हो पाएगा। वर्तमान मे स्वयं सहायता समूहों से महिला आत्मनिर्भर होकर सामाजिक एंव आर्थिक दृष्टि से सक्षम हुई है। देश के विकास मे अपना योगदान दे रही है।

आज दुनिया भर मे महिलाओं की योग्यता एंव शक्ति को जाना जाता है। विश्व के कई बडे देशों मे राष्ट्र प्रमुखों का दायित्व महिला नेतृत्व ने अपनी पूरी दक्षता के साथ निभा रही है। विभिन्न क्षेत्रों मे महिला सशक्तिकरण एंव उनके नेतृत्व को स्वीकार किया गया हैं। हमारे देश मे भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात से ही महिला कल्याण एंव सशक्तिकरण को राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक पोषण मिला। इससे महिलाओं की स्थिति मे सुधार हुआ। इसके लिए सरकारों द्वारा कई वैधानिक, एंव विकास कार्यक्रमों का संचालन किया गया । अपने अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति इन्हें जागरूक किया गया। शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए गए। हमारे यहां संविधान निर्माताओं ने समाज, परिवार और राष्ट्र के विकास मे इनकी महता को समझते हुए संविधान के विभिन्न प्रावधानों के द्वारा इन्हें समानता और सुरक्षा प्रदान की गयी। संविधान के माध्यम से देश में महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एंव सांस्कृतिक क्षेत्रों मे समानता और स्वतंत्रता प्रदान करने की कोशिश की गयी। मगर फिर भी इतने वर्ष बीत जाने पर महिलाएं अपने सामाजिक, व्यक्तिगत, आर्थिक निर्णय मे सक्षम नही हो पायी है। इन महिलाओं द्वारा अपना सक्षम स्तर प्राप्त करना ही सशक्तिकरण है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन द्वारा महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का विश्लेषण और महिला सशक्तिकरण मे स्वयं सहायता समूह तथा लघु वित्त की भूमिका को देखना है। स्वयं सहायता समूह किस प्रकार पारिवारिक, सामाजिक स्थिति मे परिवर्तन ला रहे है। स्वयं सहायता समूहो के विकास मे सरकारी एंव गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है– सबलता, सुयोग्यता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास। दुसरे शब्दो मे महिलाओं को विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाना, शिक्षा का अवसर प्रदान करना, परिवार एंव समाज मे स्वतंत्र निर्णय का अधिकार प्रदान करना ही सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण – महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाना, उन्हें स्वावलम्बी बनाना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एंव सांस्कृतिक क्षेत्र मे प्रत्येक स्तर पर उनकी सशक्त भागीदारी होना। विश्व के सभी समाजों मे महिला सशक्तिकरण को स्त्री–पुरुष भेदभाव को कम करने के महत्वपूर्ण साधन के रूप मे देखा गया है। सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है। जिसके अर्न्तगत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बेहतर अवसर मिलते है। महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि भेदभाव कम हो एंव महिला आर्थिक रूप से सक्षम बने। यह सशक्तिकरण की जागरूकता शैक्षिणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एंव स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों मे हो सकती है। भारतीय परिदृश्य मे स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों मे भागीदारी सुनिश्चित की है।

किसी भी समाज के विकास का सीधा सम्बन्ध उस समाज के महिलाओं के विकास से जुडा हुआ है। महिला सशक्तिरण के लिए भारत सरकार द्वारा भी निम्न प्रयास किए गए। बेटी बचाओं, बेटी पढाओं कार्यक्रम – इस कार्यक्रम का मुख्य उद्वेश्य लडकियों की मृत्यु दर कम करना एंव उनको शिक्षित करना। समाज मे उन्हे बराबर का भागीदार बनाना। किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए सबला योजना – इसमे महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा किशोरियों को पोषण प्रदान करने हेतु प्रारम्भ किया गया। मातृत्व सहयोग योजना – इसमे अधिक उम्र की महिलाओं को दो बच्चों के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना – इसमे गरीब महिलाओं को गैस कनेकशन उपलब्ध कराना। स्वाधार योजना – इस योजना के अर्न्तगत विधवाओं, कैद से रिहा हुई महिलाओं और अन्य महिलाओं का पुर्नवास कराया जाता है। इस योजना मे इन पीडित महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करना तथा समाज की मुख्यधारा मे जोडना हैं। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एंव रोजगार कार्यक्रम – यह कार्यक्रम महिला एंव बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है इसके द्वारा महिलाओं के कौशल विकास द्वारा उन्हे रोजगार योग्य बनाना। स्वयंसिद्वा योजना – इसमे ग्रामीण महिलाओ को बचत के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। स्थानीय नियोजन मे महिलाओं को शामिल करना और उन्हें सूक्ष्म ऋण प्रदान करवाना। स्वावलम्बन योजना – यह योजना महिला आर्थिक सम्बलन के लिए है। इस योजना के अर्न्तगर्त महिला विकास निगमो, स्वायत संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को गैर परम्परागत व्यवसायों मे महिलाओं को प्रशिक्षण तथा रोजगार दिलाने मे सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार इन विभिन्न कार्यों एंव योजनाओं द्वारा महिलाओं की स्थिति मे सुधार हेतु प्रयत्न किए गए। इस परिप्रेक्ष्य मे स्वयं सहायता समूह का अध्ययन भी समीचीन होगा।

स्वयं सहायता समूह

स्वयं सहायता समूह स्व–शासित, समूह द्वारा संचालित तथा समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का स्वैच्छिक संगठन है। जिनमे साझा उद्वेश्यों की पुर्ति हेतु सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना निहित होती है। स्वयं सहायता समूह के लिए बांग्लादेश के प्रसिद्व अर्थशास्त्री मुहम्मद युनूस का प्रयास उल्लेखनीय है। उन्होनें 1970 के दशक से इसकी शुरूआत की। इसमे गरीब विशेषकर औरतों का बिना किसी शर्त के ऋण देने की व्यवस्था की गयी। आज यह लघु वित्त प्रमुख आर्थिक प्रघटना बन गया है। यह लघु वित्त स्वयं सहायता समूहों का आधार है। हमारे देश मे स्वयं सहायता समूह लगातार बढते जा रहे है। इन समूहों को प्रोत्साहित करने वाली ताकतों मे सरकार, बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थान, स्वयं सेवी संस्थाएं, प्राइवेट कम्पनीयॉं, और विकास एंव वित्त के क्षेत्र मे सक्रिय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी शामिल है। स्वयं सहायता समुह सूक्ष्म वित्त आधारित ऐसे समूह है जिनमे

महिलाओ को कर्ज लेने और चुकाने के लिए समूह के तौर पर इकट्ठा किया जाता है। इनका आकार इतना बडा है कि अकेले स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत देश भर मे लगभग 20 लाख स्वयं सहायता समूह चलाए जा रहे है। ऋण हेतु स्वयं सहायता समूहो को बैंको से जोड कर 1.6 करोड गरीब परिवारों को औपचारिक बैंक व्यवस्था तक पहुंच मिली।

स्वयं सहायता समूहों मे मेरी रूचि का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इन समूहों मे से 90 प्रतिशत केवल महिलाओं के समूह है। ये समूह महिलाओ के जीवन मे आमूल परिवर्तन लाने वाले है। स्वयं सहायता समूह हमारे समाज मे प्राचिन समय से ही मौजुद रहें है। यहां गांवो की सामाजिकता पर गौर करे तो पाते है कि किसी भी कार्य मे मदद लेना और देने की परम्परा सदियों से चली आ रही है। 'सामूदायिकता की भावना' इसका मुख्य आधार रही है। देश मे इसकी व्यवस्थित शुरूआत 'सेल्फ एम्पलायड वीमेन एसोसिएशन', 'सेवा' अहमदाबाद, मयराडा आदि के माध्यम से हुई थी। ये संगठन सामाजिक कार्य के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक विकास को बढावा दे रहे है। इन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सभी सदस्य अपनी सामूहिक बचत निधि से जरूरतमन्द सदस्य को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते है जिससे वह सदस्य स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आजीविका उपार्जन हेतु अपनी उद्यमशीलता को आकार प्रदान करता है। विकासशील देशों के लिए स्वयं सहायता समूह जमीनी स्तर पर जन सामान्य के आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रमुख माध्यम है। इसे न केवल जन सामान्य ने अपनाया है बल्कि दुनिया भर की सरकारी , गैर सरकारी संस्थाएं भी इसका महत्व समझती हैं। भारत मे आर्थिक उदारीकरण के दौरान स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया एंव इस प्रकिया मे नाबार्ड की प्रमूख भूमिका रही। नाबार्ड ने 1992 मे स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरूआत की थी जो अभी तक निरन्तर जारी है। वर्तमान मे स्वयं सहायता समूह समाज मे आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है।

स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य

1. महिलाओ मे अपनी आय प्रबन्ध की क्षमता को बढाना।
2. निर्धन व्यक्तियों मे नेतृत्व क्षमता का विकास करना।
3. समुदाय के सदस्यों के स्वास्थ्य एंव पोषण मे सुधार करना।
4. ग्रामीण महिलाओं मे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचत की भावना को प्रोत्साहीत करना।
5. स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं मे आत्मविश्वास जगाना, उन्हे आत्मनिर्भर बनाना।
6. इसके माध्यम से व्यक्तियों को बैंक से जुडने का अवसर प्राप्त होता है।
7. स्वयं सहायता समूह द्वारा मिल जूल कर निर्माण एंव सहयोग की भावना का विकास होता है ।

इस प्रकार किन्ही एक या अधिक उद्देश्यों को लेकर स्वयं सहायता समूह का निमार्ण किया जाता है। यह .समान आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि वाले 10–25 सदस्यों का ऐच्छिक समूह है। जो नियमित रूप से अपनी आय मे बचत करते है। इस व्यक्तिगत राशि को सामूहिक निधि मे योगदान के लिए परस्पर सहयोग करते है। वह सामूहिक निणर्य लेते है। समूह द्वारा तय नियमो पर ऋण उपलब्ध करवाते है। इस प्रकार हमारे यहां स्वयं सहायता समूह एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से महिलाओ को एक नयी पहचान मिली हैं। स्वयं सहायता समूह मे कार्य करने के कारण महिलाओ के आत्मविश्वास मे वृद्वि होती हैं। घर से बाहर एक समूह के रूप मे छोटी–छोटी बचत इकट्ठी कर ऋण लेकर लघु उद्योग स्थापित कर उन्हें गौरव महसुस होता हैं। स्वयं सहायता समूहों ने हमारे देश मे सामाजिक– आर्थिक विकास मे योगदान दिया है।

स्वयं सहायता समूहो का योगदान

1. समाज के लागों मे उद्यमशीलता एंव प्रबंधकीय गुणों जैसे नेतृत्व, निर्णय क्षमता का विकास करना।
2. सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन प्रदान करना।
3. समूह द्वारा आर्थिक गतिविधियों से मुल्यवर्धक वस्तुओ का उत्पादन करना। जिससे समाज की आवश्यकता पूर्ण हो सके ।
4. इन समूहो द्वारा नवाचार एंव रचनात्मक उधोगों को प्रोत्साहन मिलता है।
5. स्वयं सहायता समूह रोजगार एंव स्वरोजगार से निर्धनता उन्मूलन मे सहायक होते है।
6. विभिन्न संसाधनों मानव, वित्तीय, आदि के समुचित उपयोग से स्थानीय मांगों के अनुरूप वस्तुओ के उत्पादन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबुती प्रदान करना ।
7. ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों मे होने वाले पलायन को रोकने मे सहायक।
8. समुदाय मे स्वैच्छिक बचत और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन प्रदान करना।
9. श्रम आधारित नए रोजगार उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों को बढावा।
10. विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय आर्थिक एंव सामाजिक असमानता को कम करने मे सहायक।
11. स्वयं सहायता समूहो का निमार्ण होने से दुसरे संस्थानो पर वित्तीय निर्भरता कम हो जाती है।
12. महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्य सामग्री जैसे आचार, पापड, दलिया, अगरबत्ती, मुरब्बा आदि की सुगम उपलब्धता के कारण महिलाओं एंव बच्चों के पोषण तथा विकास मे महत्वपूर्ण योगदान होता है।

स्वयं सहायता समूहों के प्रभाव पर चर्चा करे तो विभिन्न सर्वेक्षणो एंव अध्ययनों मे यह उभर कर सामने आया है कि इससे ग्रामीण महिलाओं की भौतिक गतिशीलता, निर्णय के अधिकार, आत्मनिर्भरता आदि मे वृद्वि हुई है। ये समूह महिला सशक्तिकरण मे प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। अब गांव की महिलाऐं घर से बाहर निकल कर बैंक, सरकारी ऑफिस तथा बाजार के कार्यों को कुशलता पूर्वक सम्पन्न कर रही है। इसके साथ ही महिलाओं का आत्मविश्वास बढाना, उन्हे आत्मनिर्भर बनाना, उन्हे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना

आदि कार्य भी ये समूह कर रहे है। हमारे यहां स्वयं सहायता समूहों ने महिला सशक्तिकरण मे निम्न प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

महिला सशक्तिकरण मे भूमिका

1. स्वयं सहायता समूहों ने देश मे लगभग 46 मिलियन ग्रामीण गरीब महिलाओं को संगठित किया है। उन्हें वित्तीय साख की सुविधा भी प्रदान की गयी।
2. स्वयं सहायता समूह महिलाओं के अधिकारों और उन्हे ऋण तक पहुंच बनाने के लिए सामूहिक सौदेबाजी का मंच प्रदान करते है।
3. स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को आवश्यक ज्ञान, वित्त शक्ति और अवसर प्रदान करते है। जैसे इला भट्ट द्वारा 1972 मे स्थापित 'सेवा' संस्थान।
4. ये समूह अपने महिला सदस्यों को समुदाय का जागरूक सदस्य बनने हेतु प्रोत्साहित करते है।
5. स्वयं सहायता समूह महिलाओं को मातृ, नवजात शिशु और शिशु देखभाल के विषय मे भी शिक्षित करते है।
6. ये समूह धन, संसाधन और तकनीकी सहायता के वितरण के माध्यम से सामुदायिक विकास को भी बढावा देते है।
7. ये समूह उन अति पिछडें गांवो का कायाकल्प कर रहे हैं जिनमे स्थित समुदायों मे कुपोषण और गरीबी की समस्या विद्यमान है। झारखण्ड राज्य के कुछ गांवों मे इन समूहो ने बढिया कार्य किया है।

स्वयं सहायता समूहो ने हमारे देश मे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र मे बेहतर कार्य किया है। इन समूहों ने न केवल महिलाओं को आर्थिक सामाजिक दृष्टि से सक्षम बनाया अपितु देश के आर्थिक विकास मे भी योगदान दिया है। मगर फिर भी व्यक्तिगत एंव सामाजिक स्तर पर स्वयं सहायता समहों के समक्ष निम्न चुनौतियां भी हैं।

1. गांव के लोगों मे स्वयं सहायता समूहो के प्रति जागरूकता की कमी पायी जाती है। क्योंकि इन समूहो के अधिकतर सदस्य अशिक्षित होते है।
2. देश के ग्रामीण क्षेत्रों मे बैंकिग सुविधाओं का अभाव हैं। बैंक शाखाएं बहुत कम है और साथ ही ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सेवाएं जल्दी प्रदान करने को तैयार नही होते है।
3. भारतीय ग्रामो मे महिलाओ की स्वयं सहायता समूहो मे भागीदारी को हतोत्साहित किया जाता है।
4. स्वयं सहायता समुहो के स्थायित्व और गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाते है। धन की सुरक्षा एक प्रमुख कमजोरी है।
5. इनके वित्तीय संसाघन सीमित होते है। ये केवल सूक्ष्म वित एंव सूक्ष्म उद्यमिता को बढाते है।
6. स्वयं सहायता समूह के कार्य प्राथमिक क्षेत्र से सम्बन्धित है, इनके पास योग्य लोगों की कमी है। इन्हे उचित प्रशिक्षण नही मिल पाता है। इनके पास निर्माण क्षमता और कौशल प्रशिक्षण के लिए संस्थागत ढांचे का अभाव है।
7. स्वयं सहायता समूह सरकारी एंव गैर सरकारी संस्थानो पर अधिक निर्भर है। इन संस्थानों समर्थन के अभाव मे ये बंद हो जाते हैं।
8. भारत मे ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनो की कमी होने के कारण, स्वयं सहायता समूहों के द्वारा तैयार उत्पादन बाजार तक नही पहुंच पाते है।

हमारे देश मे स्वयं सहायता समूहो के समक्ष अनेक समस्याएं है। जिन्हें जन सहभागिता और सरकारी प्रयासों द्वारा दूर किया जा सकता है। देश के वित्तमंत्री मे 2019–20 के बजट मे महिलाओं के लिए '' नारी तू नारायणी '' के उद्घोष के साथ निम्न प्रयास किए। महिला उद्यमिता को बढाने हेतु मुद्रा योजना के तहत सस्ता लोन देने की पहल की गयी। महिला उद्यमियों को एक लाख तक का ऋण दिया जाएगा। साथ ही जन धन खातेधारी स्वयंसहायता समूह महिला सदस्य को 5000 की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गयी। स्टैंड अप इन्डिया स्कीम के तहत महिलाओ एंव स्वयं सहायता समूहो को लाभ दिये जाने का प्रवाधान किया गया है। दीनदयाल अन्त्योंदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अर्न्तगत महिला स्वयं सहायता समूहों के बैंक ऋण पर जोर दिया गया है ताकि उधोगों को बढावा मिले। बैंको द्वारा प्राप्त ऋण के माध्यम से कृषि प्रसंस्करण, पशुपालन, बागवानी, हथकरघा, हस्तशिल्प,एंव खुदरा व्यापार आदि उधोगों को बढावा दिया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों मे महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बैंक ऋण दुगुना हो गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से युवाओं को उधोग से सम्बन्धित दक्षता का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने समूहों को उन्नत बनाते है। नाबार्ड विभिन्न संस्थाओं को सहायता प्रदान करता हैं जो विभिन्न कौशल पर आधारित ग्रामीण युवको और महिलाओं को उद्यमिता विकास एंव प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिसके परिणामस्वरूप स्वयं सहायता समूह अधिक सुदृढ बन सके। मुद्रा ऋण 10 लाख रुपये तक के गैर कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध है। यह मुद्रा योजना महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है देश मे लगभग 6 करोड महिलाओं मे इसका लाभ उठाया है। स्टैंड अप योजना भी देश मे महिलाओं, युवाओं एंव स्वयं सहायता समूहों को आगे बढाने का प्रयास है।

देश मे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरस ब्रांड के विपणन हेतु स्वयं सहायता समूहों को प्रर्दशनी आयोजन के लिए सहयोग दिया जा रहा है। नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समुहो को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण एंव प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों को डिजिटलाइज करने के लिए नाबार्ड ने ई– शक्ति एक परियोजना चला रखी है। वर्तमान मे स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिला सशक्तिकरण इस तथ्य से सामने आता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कुल खाता धारको मे से महिलाओ की संख्या 55 प्रतिशत है। यह सरकार की वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की प्रमुख योजना है। इन योजनाओं से महिलाएं वित्तीय रूप से सशक्त हुई है।

निष्कर्ष

महिलाओं को आत्मनिर्भर एंव स्वावलम्बी बनाकर उनका सशक्तिकरण करने मे स्वयं सहायता समूह

महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। विभिन्न अध्ययनों मे पाया गया कि इन समूहों के माध्यम से महिलाएं घरेलु हिंसा, शोषण से मुक्त हुई हैं। समाज मे महिलाओं की स्थिति मे सुधार आया है। आर्थिक तत्व जीवन का सबसे प्रमुख अंग है और इन समूहों से महिला को आर्थिक आजादी प्राप्त हुई हैं। स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को विकास की मुख्यधारा मे जोड कर उनके सामाजिक, व्यक्तिगत एंव आर्थिक जीवन मे परिवर्तन कर उनका सशक्तिकरण किया हैं। स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त के द्वारा महिलाओं के आत्मविश्वास एंव स्वावलंबन मे वृद्वि करते हैं। इनसे महिलाओं मे आर्थिक सम्पन्न्ता, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा बचत की प्रवृति बढी हैं। इस प्रकार स्वयं सहायता समूहों को महिला सम्बलन का प्रमुख आधार माना गया है। ग्रामीण क्षेत्रों मे इन समूहों के द्वारा ही महिला सशक्तिकरण सम्भव हो पाया हैं। इसमें सरकारी विभिन्न सरकारी एंव गैर–सरकारी संगठनों के भी सराहनीय प्रयास रहे हैं। सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी आर्थिक योजनाओं से स्वयं सहायता समूहों को सुद्ढ किया गया है। वित्तीय एंव प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य नाबार्ड द्वारा पुरे किए जा रहे हैं। आगे भी अधिक प्रयास एंव स्वयं सहायता समूहों के प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *गुर्जर, सीता, 2018, '' महिला सशक्तिकरण '' हिमांशु पब्लिकेशन, उदयपुर।*
2. *शर्मा, चितरंजन, सिसोदिया, शम्भूसिंह, 2012, '' स्वयं सहायता समूह एंव उद्यमिता विकास'' हिमांशु पब्लिकेशन, उदयपुर।*
3. *कुमार, मनीष, 2020, '' महिला सशक्तिकरण – दशा और दिशा '' पाण्डुलिपि प्रकाशन, नई दिल्ली।*
4. *चौधरी, कृष्ण चन्द्र 2018, '' महिला सशक्तिकरण सम्पूर्ण पहलू '' प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
5. *मांडोल, मंजु, 2015 '' स्वयं सहायता समूह द्वारा महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकार और कानून '' हिमांशु पब्लिकेशन,*
6. *साहनी, प्रतिभा, 2019, '' महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह '' हिन्दी बुक सेन्टर '' नई दिल्ली।*
7. *कुमार, नवीन, 2015, '' सामाजिक परिवर्तन मे स्वयं सहायता समूह की भूमिका '' बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना।*
8. *सौभिर, मिनाक्षी, 2016, ''स्वयं सहायता समुह और महिला विकास '' हिन्दी बुक सेन्टर '' नई दिल्ली।*
9. *निलेश तिवारी, कुरूक्षेत्र, जुलाई 2019*
10. *M.L. Narsing, 2004, "Economic Empowerment of women through self help groups," National Institute of cooperation and child Development, New Delhi.*
11. *https.//wcd.nic.in महिला एंव बाल विकास विभाग, भारत सरकार।*
12. www.un.org
13. www.nabard.org